रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236020
CG-DL-E-25052022-236020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944
No. 374] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISHTHA 4, 1944

आयुष मंत्रालय

(राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2022

सा.का.नि. 395(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग, (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियमावली, 2009, को, जहां तक उसका संबंध प्रबंधक (विपणन एवं व्यापार) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके द्वारा आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड में प्रबंधक (विपणन एवं व्यापार) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय में प्रबंधक (विपणन एवं व्यापार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य

पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि , यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रबंधक (विपणन एवं व्यापार)	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनाधीन)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रूपए - 2,08,700/- रूपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	अल्पकालिक संविदा सहित 100% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति / आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जो, (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारित करते हों, अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10(56,100 - 1,77,500 /-रूपए) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गई पांच वर्षों की सेवा की हो ; और (ख) : निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों : आवश्यक : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विपणन अथवा कारबार प्रबंधन अथवा कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) विपणन एवं व्यापार के क्षेत्र में अर्हता पश्चात पांच वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता।	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

वांछनीय: अनुभव : (i) : फार्मास्यूटिकल उद्योग में तीन वर्ष का अनुभव, और (ii) : बाजार सर्वेक्षण आयोजन/संचालन करने और प्रतिवेदन लेखन का तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फ़ा. सं. ए-11012/4/2018-एनएमपीबी (प्रशासन)(भाग-II)]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

(National Medicinal Plants Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2022

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in the supersession of the National Medicinal Plants Board, Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Manager (Marketing and Trade), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager (Marketing and Trade) in the National Medicinal Plants Board, under the Ministry of AYUSH, namely:-

1. Short title and commencement¬. - (1) These rules may be called the National Medicinal Plants Board, Ministry of AYUSH, Manager (Marketing and Trade), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix, attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Manager (Marketing and Trade).	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level - 11(Rs. 67,700-2,08,700/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable..	100% by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
By Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territory or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognised university or institute or research institution, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay matrix Rs. 56,100- Rs. 1,77,500/- in level-10 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Masters Degree in Marketing or Business Management or Business Administration from a recognized university or institute. (ii) Five years post qualification experience in the field of Marketing and Trade. **Desirable:** Experience : (i) Three years' experience in the Pharmaceutical Industry, and	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

(ii) Three years' experience of organising or conducting market surveys and writing reports. **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. A-11012/4/2018-NMPB(Admin)(Part-II)]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.05.25 22:38:31 +05'30'